

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-96/2005 (खण्ड-1)

/क०, पटना, दिनांक

2015.

प्रेषक,

**धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०**  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

**मेसर्स इन्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स,**  
श्री के०के० नायल,  
द्वारा-इन्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स,  
H/O-श्री आर० पी० सिंह,  
6/23, तिलक मार्ग, उत्तरी श्री कृष्णापुरी,  
पटना-13

**विषय :-** कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-108 दिनांक 17.03.2006 एवं 142 दिनांक 21.09.2007 वैद्यता तिथि 31.12.2015 के Endorsment के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चलान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में मेसर्स समर्थमान एगो केम लि० द्वारा निर्मित 36 कीटनाशियों का अनुज्ञप्ति संख्या-108 दिनांक 17.03.2006 एवं 142 दिनांक 21.09.2007 वैद्यता तिथि 31.12.2015 के अन्तर्गत Endorsment किया जाता है।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम	क्रमांक	कीटनाशी का नाम
1	2,4-D sodium Salt 80% WP	19	Fipronil 0.3% GI
2	2,4-D Amine Salt 22.5% SL	20	Glyphosate 41% SL
3	2,4-D Amine Salt 58% SL	21	Hexaconazole 5% SC
4	2,4-D Ethyl Ester 38% EC	22	Imidacloprid 17.8% SL
5	Acephate 75% SP	23	Lambda-cyhalothrin 5% EC
6	Butachlor 50% EW	24	Mancozeb 75% WP
7	Butachlor 50% EC	25	Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP
8	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP	26	Monocrotophos 36% SL
9	Carbendazim 50% WP	27	Oxyfluorfen 23.5% EC
10	Cartap Hydrochloride 4% GR	28	Quinalphos 25% EC
11	Chloropyrifos 20% EC	29	Sulfosulfuron 75% WG
12	Clodinafop Propargyl 15% WP	30	Sulphur 80% WP
13	Copper Oxychlorid 50% WP	31	Sulphur 80% WDG
14	Chlorpyrifos 50%+Cypermethrin 5% EC	32	Thiamethoxam 25% WG
15	Cypermethrin 10% EC	33	Triazophos 40% EC
16	Cypermethrin 25% EC	34	Tricyclazole 75% WP
17	Dichlorovos 76% EC	35	Phorate 10% CG
18	Emamectin Benzoate 5% SG	36	Pretilachlor 50% EC

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स इन्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स लि०, द्वारा-मेसर्स कृष्णा सीड्स, H/O-अंजु कुमारी, W/O श्री शशिभूषण, प्लॉट नं०-637 (आलोक पेट्रोल पम्प के सामने) बड़ी पहाड़ी, पटना-7

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,  
ह0/-  
(धर्मेन्द्र सिंह)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2268

/कृ0, पटना, दिनांक 16-05-2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। -

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।